भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1107

दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

निर्भया फंड के अंतर्गत नवाचार और प्रौद्योगिकी

1107. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार निर्भया फंड के तहत 'महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) 'परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सीसीपीडब्ल्यूडी परियोजना के तहत धन के संवितरण और उपयोग की स्थिति क्या है;

(ग) निर्भया फंड द्वारा महिलाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुरक्षा, जिसमें पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा में सुधार शामिल है, बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को वित्त पोषित किया जाता है;

(घ) महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम पर इन तकनीकी हस्तक्षेपों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्गामी प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावना की तलाश कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): जी हां। सरकार निर्भया कोष के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) की एक योजना कार्यान्वित करती है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) www.cybercrime.gov.in शुरू किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी कार्यशील है। एनसीआरपी के 16.18 करोड़ से अधिक विजिटर्स हैं। दिनांक 30.04.2024 तक बाल पोर्नोग्राफी/बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) की 1.94 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। एनसीएमईसी से ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिप-लाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच 26.04.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, 69.05 लाख से अधिक साइबर टिप-लाइन रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई हैं। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।

सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत, गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से 105.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। साथ ही, केंद्रीय एजेंसियों यानी एनसीआरबी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) को 41.45 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 100% निधि का उपयोग कर लिया गया है।

(ग) से (ङ): निर्भया कोष के तहत कुछ परियोजनाएं/योजनाएं प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाएं/योजनाएं हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112 को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील कर दिया गया है और 30 अप्रैल 2024 तक इसमें 36.29 करोड़ से अधिक कॉल्स पर कार्रवाई की गई है, साथ ही 14.36 लाख से अधिक '112 इंडिया' मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए हैं;

(ii) सुरक्षित शहर परियोजनाएं शहर की पुलिस और नगर निगमों द्वारा विकसित व्यापक और एकीकृत परियोजनाएं हैं, जो वहां की महिला नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा बुनियादी ढांचे में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य चरण-I में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना है;

(iii) 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) को सुदृढ़ करना/स्थापित करना;

(iv) 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईआरएसएस के साथ एकीकृत की गई महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-181 कार्य कर रही है और 31.05.2024 तक 76.02 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है;

(v) वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी) के कार्यान्वयन के लिए 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों बिहार, पुदुच्चेरी, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा ओडिशा में निगरानी केंद्र चलाए गए हैं;

(vi) 23 दिसंबर 2019 को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आधुनिक डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरणों और तकनीकों से पूर्णतया सुसज्जित 4 स्वतंत्र इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(vii) एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस) परियोजना के तहत देश भर में अब तक 489 स्टेशनों को सीसीटीवी प्रणाली से लैस किया गया है;

(viii) अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं या ट्रेन में सहायता के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 2034 टैब खरीदे गए हैं और आरपीएफ कर्मियों में वितरित किए गए हैं;

(ix) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) को 7 व्यस्त स्टेशनों मुंबई सीएसटी, दिल्ली, हावड़ा, सियालदह, पटना, सिकंदराबाद और चेन्नई सेंट्रल पर वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है

*****